5. स्वेच्छया दिवालियापन

यदि आप अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हैं और अपने लेनदारों के साथ ऋण चुकाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते/पाती हैं, तो आप दिवालिया होने की याचिका स्वेच्छा से दायर कर सकते/सकती हैं।

दायर की गई याचिका में उल्लिखित जानकारी से यदि ऐसा आभास मिलता है कि आप अपने ऋण चुका सकते/सकती हैं और या तो कोई/किन्हीं ऋण विशेष के चुकाने को टालना चाहते/चाहती हैं अथवा पहले दिवालिया रह चुके/चुकी हैं, तो आपकी याचिका स्वीकार नहीं भी हो सकती है।

यदि कोई ऋणी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है या उसका कोई ऑस्ट्रेलियाई संपर्क नहीं है (अर्थात ऋणी आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता है और ना ही ऑस्ट्रेलिया में उसका कोई कारोबार है) तो वह दिवालियापन के लिए ऋणी-याचिका दायर करने की पात्रता नहीं रखता है।

दिवालियापन के परिणाम गंभीर होते हैं। आम तौर पर तो दिवालियापन तीन साल के लिए होता है, परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। राष्ट्रीय व्यक्तिगत दिवालियापन इंडेक्स (सार्वजनिक इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर, जिसे शुल्क देकर कोई भी देख सकता है) में दिवालियेपन का स्थायी रिकॉर्ड रखा होता है। लेनदारों को आपके दिवालियेपन की सूचना दी जाती है।

.दिवालियापन के प्रशासनार्थ ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है। आपके लेनदारों को भुगतान करने के लिए ट्रस्टी:

- आपकी परिसंपत्तियों को बेचेगा (हालांकि आप कुछ विशेष प्रकार की परिसम्पात्तियां रख सकेंगे/सकेंगी)
- एक विहत सीमा से अधिक अर्जित आपकी किसी भी आय को वसूल सकेगा
- आपके वित्तीय मामलों की जांच-पड़ताल करेगा तथा ऐसी किसी भी परिसंपत्ति को वसूल कर सकेगा जो अपने दिवालियापन से पहले उसके अपर्याप्त मूल्यांकन हेतु आपने किसी को हस्तांतरित की हो अथवा अपने दिवालियापन की अवधि के दौरान आपको मिल सकती हो।

दिवालिया होने की याचिका दायर करते समय उनकी सहमति प्राप्त कर सुलभ कराते हुए आप एक रजिस्टर्ड ट्रस्टी नियुक्त कर सकते/सकती हैं। यदि आप ट्रस्टी नहीं चुनते/चुनतीं तो एएफएसए AFSA उकत नियुक्ति हेतु रजिस्टर्ड ट्रस्टी की व्यवस्था कर सकता है।

अन्यथा, आपकी संपदा के प्रशासन हेतु प्रारम्भिक तौर पर अधिकृत ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है। आपके लेनदार किसी भी समय ट्रस्टी को बदल सकते हैं।

विधेयक में ट्रस्टी के कर्तव्यों का विनिर्देश किया गया है और आपकी सम्पदा का प्रशासन करते हुए उन्हें कुछ मानकों का पालन करना होता है।

A. परिसंपत्तियां

आपके दिवालिया होते समय आपके स्वामित्व की कोई भी मूल्यवान वस्तु तथा दिवालियेपन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपके द्वारा खरीदी या प्राप्त की गई हर वस्तु परिसंपत्ति कहलायेगी।

.कुछ परिसंपत्तियों में आपको छूट प्राप्त है, अर्थात उन्हें आप रख सकते हैं। कुछ परिसंपत्तियों में छूट नहीं दी गई है या उन्हें विभाजित किया जा सकता है, अर्थात आपके लेनदारों के लाभार्थ ट्रस्टी उन्हें बेच सकता है।

मैं किन परिसंपत्तियों को रख सकता/सकती हूँ?

- बहुत ही मामूली घरेलू या व्यक्तिगत सामान
- एक विहित सीमा* तक आय अर्जित करने के लिए प्रयोग में आने वाले औजार
- वे वाहन (कार या मोटरबाइक) जिनके कुल मूल्य, उधार ली गई रकम घटाने के बाद विहित सीमा*से कम हैं

- रजिस्टर्ड सुपरएन्युएशन फंड में जमा अधिकाँश रकम तथा दिवालियेपन के बाद से विनियमित सुपरएन्युएशन फंड में से आपको प्राप्त भुगतान (नोट: दिवालियापन से पूर्व के सुपरएन्युएशन भुगतान संरक्षित नहीं हैं)
- आपसे या आपके जीवन-साथी से संबंधित जीवन बीमा पालिसियां या दिवालियेपन के बाद ऐसी पॉलिसियों से प्राप्त आगम
- व्यक्तिगत जख्म के लिए प्राप्त मुआवज़ा अर्थात कार दुर्घटना से आपको लगी चोट या मजदूर का मुआवज़ा
- आपको प्राप्त व्यक्तिगत मुआवज़ा या किसी सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियां (संरक्षित धनराशि)
- किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपके द्वारा ट्रस्ट में धारित परिसंपत्ति (जैसे, किसी बच्चे का बैंक खाता)
- आपको मिला कोई खेल, सांस्कृतिक, सैन्य या शैक्षणिक पुरस्कार जैसे पदक या ट्रोफियां, जिनके प्रति आप भावनात्मक लगाव का दावा करते/करतीं हों, उनमें लेनदारों के मतदान से छूट मिल सकती है।

मेरे ट्रस्टी कौन सी परिसंपत्तियां बेचेंगे?

जिन परिसंपत्तियों को आप रख सकते/सकतीं हैं उनको छोड़कर आपका ट्रस्टी आपकी कोई भी परिसंपत्ति को बरामद कर सकता है,। भले ही वह विदेश में हो या किसी अन्य के कब्जे में। उदाहरणार्थ, इनमें शामिल है:

- मकान, अपार्टमेंट, ज़मीन, फार्म और कारोबार के परिसर (लीज सहित)
- छूट-प्राप्त मोटर वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन, शेयर एवं अन्य निवेश (आपके नियोजक के कारोबार में शेयर सहित)
- आपके दिवालिया होने से पूर्व अर्जित आय से कर-वापसी
- किसी मृत व्यक्ति की सम्पदा से प्राप्त आगम जब उसकी मृत्यु दिवालियेपन से पहले या उस दौरान हुई हो,
- लॉटरी में जीती गयी रकम एवं अन्य प्रतियोगिता पुरस्कार

चेतावनी: यदि आप निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी नहीं करते/करतीं हैं, तो इसके लिए दंड की व्यवस्था है

- अपने कामकाजी विवरण में परिसंपत्तियों को दर्शायें, अथवा
- दिवालियेपन के दौरान प्राप्त किसी भी पारिसंपत्ति की लिखित जानकारी 14 दिनों में अपने ट्रस्टी को दें।

अन्य व्यक्ति के साथ मेरे स्वामित्व की परिसंपत्तियों के बारे में क्या स्थिति है?

यदि किसी परिसंपत्ति में आपकी हिस्सेदारी है, जैसे कोई मकान, तो आपका ट्रस्टी आपकी हिस्सेदारी बेच सकता है। यदि आपका सह-स्वामी दिवालिया नहीं है तो ट्रस्टी आपकी हिस्सेदारी उन्हें बेचने पर सहमत हो सकता है, लेकिन यह रकम कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिए जितनी उस परिसंपत्ति को खुले बाज़ार में बेचने पर ट्रस्टी को मिलती।

वे परिसंपत्तियां कौन सी हैं जिन्हें ज़मानती लेनदार बरामद करने के हक़दार हैं?

ज़मानती लेनदार वह है जिसे आपकी परिसंपत्ति बतौर ज़मानत प्राप्त है। ज़मानत पर दी गई परिसंपत्तियों के सामान्य उदाहरण हैं :

- बैंक के पास गिरवी रखा गया मकान
- बिक्री-बिल के अध्यधीन मोटर वाहन

- किराया खरीद में खरीदा गया माल, गिरवीकृत चल परिसंपत्ति, लीज़, वित्तीयक कंपनी के पास पड़े विक्रय बिल
- रीयल एस्टेट – अत्यधिक दरें बढ़ने पर स्थानीय काउंसिल के प्रभार के अध्यधीन

कोई ज़मानती लेनदार केवल इस आधार पर परिसंपत्ति बरामद नहीं कर सकता है कि आप दिवालिया हैं। परन्तु यदि आप भुगतान करने में असफल रहते/रहतीं हैं तो वे इसे आपसे बरामद करके बेच सकते हैं; भले ही आप दिवालिया हों या नहीं। यदि आपको यह संदेह है कि आपका कोई लेनदार ज़मानती है या नहीं, तो अपने लेनदार से पूछ लें। फिर भी संदेह होने पर किसी वित्तीय परामर्शदाता या अपने ट्रस्टी से पूछ लें।

*चालू इंडेक्स की गई रकमों के लिए एएफएसए AFSA की वेबसाइट www.afsa.gov.au में 'Current Indexed Amounts देखें

मैं जिन परिसंपत्तियों का मालिक था उनका क्या होगा?

आपका ट्रस्टी यह जांच करेगा कि दिवालियेपन के पांच साल पहले आप किन-किन परिसंपत्तियों के मालिक थे। यदि वे यह पाते हैं कि आपने बाज़ार मूल्य से कम कीमत पर अपनी परिसम्पतियों को छोड़ या बेच दिया है तो या तो वे इन परिसंपत्तियों को बरामद कर सकते हैं या उनके बाज़ार मूल्य और आपको प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर वसूल सकते हैं। आपके ट्रस्टी ऐसी किसी भी परिसंपत्ति को भी बरामद कर सकते हैं जो आपके लेनदारों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हस्तांतरित की गई है (दिवालियापन से पांच वर्ष से अधिक समय पूर्व हस्तांतरित परिसंपत्तियों सहित)।

किसी के विरुद्ध किए गए मेरे कानूनी दावों का क्या होगा?

यदि आप किसी न्यायालय में कोई कानूनी कार्रवाई पहले ही शुरू कर चुके/चुकीं हैं, या यदि आप यह सोचते हैं कि कानूनी दावा बनता है किन्तु आपने न्यायालय में कार्रवाई शुरू नहीं की है, तो दिवालिया होने के बाद न तो कानूनी कार्रवाई जारी रख सकते/सकतीं हैं और न ही नयी कार्रवाई शुरू कर सकते/सकतीं हैं। यह निर्णय आपका ट्रस्टी लेगा कि आपके लेनदारों के लाभार्थ दावे पर अगली कार्रवाई की जाए या नहीं। फिर भी, यदि आपका यह दावा व्यक्तिगत रूप से आपको या आपके जीवन-साथी अथवा परिवार के किसी सदस्य को लगी चोट या नाइंसाफी अथवा आपके जीवन-साथी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से संबंधित हो तो दिवालियापन के बाद भी आप इस दावे पर अगली कार्रवाई करने के/की हक़दार हैं। इस विषय पर आपका अपने ट्रस्टी से विचार-विमर्श करना महत्वपूर्ण है जो ऐसे दावे या कार्रवाई के बारे में आपको और अधिक जानकारी देगा।

दिवालियेपन से मुक्त होने के बाद मेरी उन परिसंपत्तियों का क्या होगा जो मेरा ट्रस्टी बेच सकता है?

आपका ट्रस्टी आपके ऋण मुक्त होने (दिवालियापन के अंत) तक उस परिसंपत्ति को संभाले रखता है जो बिकी नहीं है। हो सकता है ट्रस्टी उस परिसंपत्ति को तुरंत न बेच पाया हो और उसे बेचने में कुछ साल लग जाएँ।

.यदि सभी देनदारों को भुगतान करने के साथ-साथ ट्रस्टी का शुल्क व खर्चे चुका दिए जाते हैं, तो बची हुई परिसंपत्तियां आपको लौटा दी जायेंगी और आपका दिवालियापन निरस्त कर दिया जाएगा।

B आपका रोजगार एवं आय

दिवालियापन अधिनियम किसी भी व्यापार या व्यवसाय में रोजगार पर रोक नहीं लगाता। आप आय उपार्जित करना जारी रख सकते/सकतीं हैं तथा/या रोजगार के अन्य अवसर खोज सकते/सकतीं हैं।

फिर भी, आपको यह ध्यान रखना होगा कि कोई उद्योग संघ या लाइसेंसिंग प्राधिकारी विशेष, अपने किसी सदस्य या लाईसेंसधारी के दिवालिया हो जाने पर कुछ पाबंदियां अथवा शर्तें लगा सकता है।

आम तौर पर, राज्य सरकारें किन्हीं व्यापार विशेष (जैसे बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट, आदि) में पात्रता से संबंधित कानून लागू करती हैं, जब कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर के व्यावसायिक संघ तथा/या सांविधिक मंडल किसी व्यवसाय विशेष (जैसे लेखाकार, वकील, टैक्स एजेंट, आदि) की पात्रता संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं। आपको अपने संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी या व्यावसायिक संगठन से यह मालूम कर लेना चाहिए कि क्या दिवालियापन आपके व्यापार या व्यवसाय में बने रहने पर कोई असर डालता है।

कारपोरेशन एक्ट के तहत न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना दिवालियापन की स्थिति में आप किसी निगम के प्रबंधक नहीं बन सकते/सकतीं हैं।

जब मैं दिवालिया होता हूँ तो मेरी आय का क्या होता है?
यदि कर चुकाने के बाद आपकी आय विहित सीमा से बढ़ती है तो आपको अपनी आय में से ट्रस्टी को अंशदान करना होगा।

यदि आप कम आय अर्जित करते/करतीं हैं तो आपको अंशदान नहीं करना होगा। फिर भी, आप स्वेच्छा से ट्रस्टी को भुगतान कर सकते/सकतीं हैं।

मुझे कितने अंशदान का भुगतान करना होगा ?
कर चुकाने के बाद बची आय विहित सीमा से जितनी भी अधिक हो उसका आधा हिस्सा आपको चुकाना होगा, अर्थात अतिरिक्त रकम के प्रत्येक 1 $ में से 50 सेंट देने होंगे।

(टिप्पणी: दिवालियापन अधिनियम के तहत आय-अंशदान हेतु 'आय' का व्यापक अर्थ है और इसमें कुछ ऐसी रकम भी शामिल है जो कर योग्य आय में शामिल नहीं की जाती है।)

अंशदान की गणना कैसे होती है?
आपके दिवालियापन के प्रारम्भ में आपका ट्रस्टी इस बात की गणना करेगा कि अपने दिवालियापन के पहले साल के दौरान क्या आपको आय-अंशदान करना होगा। आपके दिवालियापन के प्रत्येक अगले वर्ष के प्रारम्भ में ट्रस्टी इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करते हुए गणना की जाती है:

<u>निर्धारित की गई रकम में से वास्तविक आय-सीमा को घटाकर प्राप्त रकम</u>

2

निर्धारित आय क्या है?

दिवालियापन के सन्दर्भ में निर्धारित आय में आपकी कमाई, वेतन या मजदूरी तथा वे अन्य वित्तीय लाभ शामिल हैं, जो आपने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये हैं; परन्तु ऐसी रकम पर देय अथवा चुकाया गया कर (मेडिकेयर लेवी सहित) तथा यदि लागू हो, तो बाल सहायता व भरण-पोषण खर्च को आय में से घटाएं। इसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं :

- मजदूरी और वेतन (दूसरे कामों सहित)
- दिवालियापन के दौरान वित्तीय वर्षों की कर-वापसी
- आपके नियोजक या अन्य से मिलनेवाले अतिरिक्त लाभ (जैसे, कार का उपयोग, रिआयती दर पर किराया)

- वेतन में से कटौती की व्यवस्था
- कारोबारी लाभ
- कुछ लाभ व पेंशन
- आपके द्वारा कमाई गई आय जो किसी अन्य को दी गई हो।

आय में शामिल किए जाने लायक मदों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपका ट्रस्टी दे सकता है।

चेतावनी:

अपनी समस्त आय व लाभों की जानकारी अपने ट्रस्टी को अवश्य दें। जानकारी छुपाने पर दंड लगेगा।

आपका ट्रस्टी आपकी निर्धारित आय की गणना ऐसे करेगा:

- सभी स्रोतों से आपकी कुल आय का अभिनिर्धारण करके
- उसमें से आपके आय-कर, मेडिकेयर लेवी, तथा बाल-सहायता या भरण-पोषण के खर्चे घटाकर

वास्तविक आय सीमा की रकम (एआइटीए ACTUAL INCOME THRESHOLD AMOUNT- AITA) क्या है?

आय सीमा अर्थात IATA (अधिकतम पेंशन दर का लगभग 3 ½ गुना) इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है और समय-समय पर बदलती रहती है*। यदि आपके ऊपर कुछ लोग निर्भर हैं तो उनकी संख्या के अनुसार आपकी आय-सीमा बढ़ती रहती है।

उदाहरणार्थ

बॉब यह अपेक्षा रखता है कि दिवालियेपन के पहले 12 महीनों के लिए उसकी आय $65,000 होगी। उसपर एक व्यक्ति निर्भर है।

पहला कदम : ट्रस्टी बॉब की निर्धारित आय की गणना करता है :

. सकल अपेक्षित आय	$65 000.00
घटायें - आय-कर	$13 524.66
घटायें – मेडिकेयर लेवी	$975.00
निर्धारित आय	$50 500.34

दूसरा कदम : ट्रस्टी बॉब की आय सीमा निर्धारित करता है

आय सीमा (1 निर्भर व्यक्ति सहित)	$48 675.35*

तीसरा कदम : बॉब की वार्षिक अंशदान-देयता की गणना करने के लिए ट्रस्टी उसकी निर्धारित आय तथा आय-सीमा का उपयोग करता है

$50 500 – $48 675* = $1 825 ÷ 2 = $912

बॉब को आय-सीमा के निर्धारण की सूचना मिलती है जिसमें उसे हर पखवाड़े में $35 के हिसाब से $912 का

भुगतान करना होगा| यदि बॉब की आय मासिक या सामयिक हो तो ट्रस्टी भुगतान करने की व्यवस्था तदनुसार बदल सकता है|

निर्धारण की सूचना

आपका ट्रस्टी आपको आय-सीमा के निर्धारण की सूचना देगा जिसमें यह लिखा होगा कि

- भुगतान करने योग्य रकम (यदि कोई हो)
- रकम की गणना पद्धति
- भुगतान की देय तिथि

भुगतान न करने का परिणाम

आपका ट्रस्टी निम्नानुसार कार्रवाई कर सकता है

- आपकी आय या बैंक खाते या आपके पैसे रखनेवाले किसी तीसरे व्यक्ति के पास पड़े पैसों में से निधि को जब्त (आपकी रजामंदी के बिना स्वत: कटौती) कर सकता है, और/या
- आपके दिवालियापन को बढ़ाकर 5 साल तक कर सकता है तथा इस अवधि के लिए अतितिक्त अंशदान निर्धारित कर सकता है।
- चुकान न किए गए अंशदान के लिए न्याय-निर्णय प्राप्त कर सकता है तथा आपके ऋणमुक्त होने के बाद प्रवर्तन की कार्रवाई कर सकता है।
- आपसे पर्यवीक्षित बैंक खाता खोलने को कह सकता है जिसमें आपकी समस्त आय अवश्य जमा होनी चाहिए और उसके समस्त आहरण ट्रस्टी द्वारा प्राधिकृत होंगे।

यदि मेरी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो क्या होगा?

यदि आपकी आय अथवा आप पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या बदल जाती है या यदि आप सोचते/सोचती हैं कि ये व्यौरे अगले 12 महीनों में बदल जांयेंगे तो इसकी जानकारी तुरंत अपने ट्रस्टी को देनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो आपकी आय-सीमा का निर्धारण गलत होने से आप अत्यधिक अथवा अपर्याप्त भुगतान कर सकतेसकतीं हैं।
प्रति 12 महीने की अवधि के बाद आपका ट्रस्टी आपकी वास्ताविक आय और निर्भर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर आपकी अंशदान-देयता का पुनर्निर्धारण करेगा। यदि आपके अनुमान से अधिक आय होने के कारण आपने पर्याप्त अंशदान नहीं किया तो उस अंतर को पूरा करना होगा। यदि आपने बहुत ज्यादा भुगतान कर दिया हो तो पैसे लौटाए नहीं जांयेंगे लेकिन अगले निर्धारण के लिए जमा कर दिए जांयेंगे।

कठिनाई में राहत

कठिनाइयों के आधार उन अपवादात्मक परिस्थितियों तक सीमित हैं जो आपके ऊपर अत्यधिक वित्तीय बोझ डालते हैं। इनमें शामिल हैं

- निरंतर होनेवाले चिकित्सा संबंधी खर्चे
- दिन में बच्चों की देखरेख पर खर्च – जो काम करने की दृष्टि से आवश्यक हैं
- मंहगा किराया
- काम पर आने-जाने का अत्यधिक यात्रा-खर्च या
- आम तौर पर, आपके जीवन-साथी अथवा आपके साथ रहनेवाले किसी व्यक्ति से घरेलू खर्च चलाने हेतु मिलने वाला अंशदान का बंद हो जाना।

यदि आपको लगता है कि आप कठिनाई में राहत के पात्र हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपने ट्रस्टी से संपर्क करें। कठिनाई में राहत संबंधी आवेदन लिखित होने चाहिए और इनमें :

- यह बताएं कि आपको कठिनाई क्यों होगी
- अपनी आय और व्ययों का दस्तावेजी प्रमाण शामिल करें।

आपका ट्रस्टी इस आवेदन पर 30 दिनों में अपने निर्णय और उनका आधार बताते हुए आपको लिखित जानकारी देगा।

समीक्षा

यदि आप अपने अंशदान के निर्धारण अथवा कठिनाई में राहत देने से इनकार संबंधी निर्णय से असहमत हों तो अपने ट्रस्टी से संपर्क करें। फिर भी आप असहमत हों तो आप महा निरीक्षक से समीक्षा करने का अनुरोध कर सकते/सकतीं हैं। उक्त अनुरोध लिखित होना चाहिए और निर्धारण सूचना मिलने के 60 दिन में दायर किया जाना चाहिए। तथापि, अपील-अवधि के दौरान भी आपको भुगतान तो करते ही रहना होगा।

c ऋण एवं लेनदार

यदि मैं दिवालिया हो जाता/जाती हूँ तो उनकी स्थिति क्या होती है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके दिवालिया होते ही बेज़मनाती लेनदारों ने आपसे संपर्क करना बंद कर दिया है, आपको दिवालिया होने के लिए आवेदन करते समय अपने कामकाजी -विवरण में सभी ऋणों का व्यौरा देना होगा। इसमें शामिल हैं :

- किसी अन्य के साथ आपके संयुक्त ऋण।
- अपने इष्ट मित्रों और सगे-सम्बन्धियों से लिए गए ऋण।
- वे ऋण जो दिवालिया होने पर भी आपको चुकाने होंगे।

आपके दिवालियापन से, किसी लेनदार के अन्य व्यक्ति को तगादा करने के अधिकार पर कोई असर नहीं होगा, जैसे

- आपके ऋण का गारंटीकर्ता
- किसी अन्य व्यक्ति (जैसे आपके पति या पत्नी) के साथ आपके संयुक्त ऋण

दिवालियापन के दौरान भी चुकाए जानेवाले ऋण

आपको ये भुगतान करने होंगे:

- जो ऋण दिवालियापन में साबित नहीं हो सकते, जैसे कि

  - न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड व जुर्माने

  - कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर दुर्घटनाओं (जैसे कार दुर्घटनाएं) से हुए नुकसान

  - विद्यार्थी सहायता / पूरक ऋण

* आपका दिवालियापन शुरू होने के बाद लिया जानेवाला कोई नया ऋण

अपने ड्राइवर्स लाइसेंस तथा/या अपने मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त होने से बचाने के लिए आपको पार्किंग, ट्रेफ़िक एवं अतिक्रमण के संबंध में राज्य के अन्य कानूनी भुगतान करने होंगे। बहुत से राज्यों को भुगतान प्राप्त न होने तक आपका ड्राइवर्स लाइसेंस तथा/या मोटर वाहन रजिस्टेशन रद्द करने का अधिकार है। यदि आप अपने घर को दी जानेवाली आवश्यक सेवाओं (जैसे, बिजली गैस, टेलीफोन) के लिए भुगतान नहीं करते/करतीं हैं तो आपको सुलभ कराई जा रहीं इन सेवाओं के कनेक्शन कट सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय (एटीओ ATO) आपके टैक्स रिफंड को रोक सकता है और इसमें से कामनवेल्थ (एटीओ ATO, बाल-सहायता एजेंसी) को देय रकम को समायोजित कर सकता है।

दिवालियापन की समाप्ति पर आप द्वारा चुकाए जानेवाले ऋण

हालांकि दिवालियापन की समाप्ति पर आप अधिकाँश ऋण से मुक्त हो जाते हैं, कुछ अन्य ऋण फिर भी चुकाने पड़ सकते हैं। जैसे, दिवालियेपन के बाद भी आपकी ये देयताएं रह जातीं हैं:

- धोखाधड़ी जनित ऋण
- बाल-सहायता सहित भरण-पोषण ऋण
- संचित एचइसीएस ऋण - उच्च शिक्षा अंशदान योजना (Higher Education Contribution Scheme- HECS) एवं उच्च शिक्षा ऋण कार्यक्रम (Higher Education Loan Program- HELP) एचइएलपी ऋण

मेरे लेनदार कैसे प्रभावित होंगे?

आम तौर पर, बेज़मानती लेनदार अपने ऋणों को वसूलने का अधिकार खो बैठते हैं। जैसे कि

- व्यक्तिगत ऋणों, क्रेडिट कार्ड व स्टोर कार्ड के लिए बैंक, वित्तीय कम्पनियाँ एवं क्रेडिट यूनियनें
- सेवा प्रदायक, डॉक्टर, वकील एवं व्यापारी

यदि आप दिवालिया हो जाते/जातीं हैं, तो आपके विरुद्ध बेज़मानती लेनदारों द्वारा की गई कोई भी कानूनी कार्रवाई रुक जानी चाहिए, जैसे समन, आपकी आय या बैंक खाते से वसूली जानेवाली रकम, शेरिफ या बेलिफ द्वारा की गई वसूली कार्रवाई।

यदि देनदार ऋण चुकाने के लिए लगातार आपसे तगादे करते रहें तो अपने ट्रस्टी से तुरंत कहें जो आपके लेनदारों को आपके दिवालियेपन की जानकारी दे देंगे। यदि आपको ऋण चुकाने के लिए परेशान किया अथवा आपके ऊपर

दबाव डाला जा रहा हो तो ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग (Australian Competition and Consumer Commission) की वेबसाइट www.accc.gov.au से और अधिक जानकारी प्राप्त करें या इन्फोसेंटर को 1300 302 502 पर कॉल कर उपभोक्ता के तौर पर आपके अधिकार और शिकायत दायर करने की प्रक्रिया जान लें।

ज़मानती लेनदार आपकी परिसंपत्तियों को बतौर ज़मानत अपने अधिकार में रखते हैं जिसके कारण यदि आप भुगतान नहीं कर पाते/पातें हैं, तो उन्हें परिसंपत्ति को लेने और बेचने का हक़ प्राप्त है, जैसे कि

- वे बैंक जिनके पास मकान बंधक रखा गया है
- वे वित्तीय कम्पनियाँ जिनके पास चल संपत्ति बंधक है, कार, फर्नीचर या बिजली के सामान की बिक्री के बिल या लीज़
- किराया खरीद करार से लिया गया सामान, जिनके पूरे पैसे न चुकाए गए हों
- मकान और ज़मीन पर सरकारी क़ानून द्वारा संरक्षित लेनदार, जैसे काउंसिल / शायर और पानी की दरें

यदि आप दिवालिया हो जाते/जातीं हैं तो ज़मानती लेनदार यह मालूम करने के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं कि किसी परिसंपत्ति का क्या होगा। आप ज़मानत पर रखी गई परिसंपत्ति को अपने पास बनाये रखने की व्यवस्था कर सकते/सकतीं हैं, फिर भी इससे पहले वित्तीय परामर्शदाता या दिवालिया ट्रस्टी से बातचीत कर लें।

कुछ लेनदार उनसे खरीदे गए सामान पर अपना मालिकाना हक़ तब तक बनाये रखते हैं जब तक कि उनको संपूर्ण भुगतान नहीं मिल जाता (जैसे मालिकाना हक़ बनाये रखने की शर्त पर बिक्री, परेषण यानी कन्साइनमेंट या कमीशन पर प्रेषित माल) सुरक्षित जमाराशि या बांड धारक लेनदार (जैसे मकान-मालिक) आपका ऋण कम करने के लिए माल को रख सकते हैं।

यदि आपको अपने ऋणों और लेनदारों का हिसाब लगाने में कठिनाई हो तो अपने लेनदारों से ही पूछें कि क्या आपके ऋण ज़मानती हैं। यदि आप इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि आपके ऋण और लेनदार किस प्रकार के हैं तो किसी वित्तीय परामर्शदाता से बात करें।

D. विदेश यात्रा

दिवालिया होने पर क्या मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ सकता/सकती हूँ ?

अपने ट्रस्टी की लिखित पूर्वानुमति मिलने पर ही आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ सकते/सकतीं हैं। आपका ट्रस्टी इस बात से आश्वस्त होना चाहेगा कि आप किसी न्यायोचित कारण से ही प्रस्तावित यात्रा पर जा रहे/रहीं हैं, जैसे कि

- आपकी नियुक्ति इसी शर्त पर हुई हो, या
- कोई संवेदनात्मक कारण हो

अनुमति देते समय आपका ट्रस्टी कोई शर्त लगा सकता है, जैसे कि

- यात्रा की अवधि
- ऑस्ट्रेलिया-वापसी की अपेक्षित तारीख, तथा/या
- जाने से पहले आय का निर्धारित अंशदान (आपकी आय से लेनदारों को ऋण चुकाने के लिए अनिवार्य रकम) चुकाकर जाएँ।

आपके पास पासपोर्ट होगा और यदि ट्रस्टी ने आपको अपना पासपोर्ट उसके हवाले करने के लिए कहा है तो आपको ऐसा करना

होगा। आपका ट्रस्टी आपको अनुमति देने से इनकार कर सकता है यदि आपने

- दिवालियापन अधिनियम में अपेक्षित सभी अनिवार्यताएं पूरी नहीं कीं है, जैसे कामकाज का विवरण प्रस्तुत करना, या
- अपने दिवालियापन के प्रशासन में ट्रस्टी ने आपका सहयोग मांगा है, या
- ट्रस्टी की जाँच-पड़ताल पूरी न हुई हो।

चेतावनी

यदि आप अपने ट्रस्टी की अनुमति लिए बिना ऑस्ट्रेलिया छोड़ते/छोड़ती हैं अथवा उसकी अनुमति से जाते/जातीं तो हैं लेकिन अपने वादे के अनुसार लौटते/लौटतीं नहीं हैं तो आपका ट्रस्टी आपके ऋण-मुक्त होने पर आपत्ति कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो आपके ऑस्ट्रेलिया लौटने की तारीख से पांच साल तक के लिए आपके दिवालियापन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

यदि आप विदेश में हैं और आपका ट्रस्टी आपको ऑस्ट्रेलिया वापस लौटने को कहता है, किन्तु आप नहीं आते/आतीं हैं, तो आपका ट्रस्टी आपकी ऋण मुक्ति पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपके दिवालियापन की अवधि आपके ऑस्ट्रेलिया लौटने की तारीख से 8 साल तक के लिए बढ़ सकती है।

अपने ट्रस्टी की लिखित पूर्वानुमति लिए बिना ऑस्ट्रेलिया छोड़ना या छोड़ने का प्रयास दिवालियापन अधिनियम के तहत एक अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की कैद का दंड दिया जा सकता है।

आपके ट्रस्टी द्वारा दी गई यात्रा-शर्त का उल्लंघन भी दिवालियापन अधिनियम के तहत एक अपराध है। इसके लिए 12 महीने की क़ैद का दंड हो सकता है।

अनुमति के लिए मुझे कैसे आवेदन करना होगा ?

जब भी ऐसा लगे कि आपको ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रस्टी से बात कर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं।

आपका दिवालियापन अधिकृत ट्रस्टी (एएफएसए AFSA) के प्रशासन में होने पर आपको विदेश यात्रा आवेदन शुल्क देना होगा।

यदि आपका ट्रस्टी अधिकृत ट्रस्टी हो तो बेहतर होगा कि आप 'request for consent to travel overseas while bankrupt' फॉर्म में विदेश यात्रा की अनुमति मांगें जिसमें अनुमति प्राप्ति से संबंधित सभी जानकारियाँ मांगी गयीं हैं। तब इस फॉर्म को अपेक्षित विदेश यात्रा आवेदन शुल्क के साथ भेजा जाना चाहिए।

आपके आवेदन पर विचार करने के लिए आपके ट्रस्टी के पास पर्याप्त समय एवं सूचना होनी चाहिए। आपका आवेदन लिखित होना चाहिए ताकि ट्रस्टी यह समझ सके कि वस्तुत: आपका अनुरोध क्या है। आपको ट्रस्टी के निर्णय तथा यात्रा से संबंधित शर्तों की जानकारी तुरंत मिलेगी।

यदि आप अपने ट्रस्टी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो सीधे उससे बात कर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। फिर भी आप ट्रस्टी के निर्णय से असंतुष्ट हों तो आप फ़ेडरल कोर्ट या फ़ेडरल मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन करें| ऐसा करने से पहले आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

E. दिवालियेपन से मुक्ति

दिवालियेपन से मुक्ति क्या है ?

इसका अर्थ यह है कि दिवालियापन खत्म हो चुका है और अब आप दिवालिया नहीं हैं।

मैं दिवालियापन से मुक्त कब होउंगा/होऊँगी?

यदि आप खुद अपनी ही याचिका पर दिवालिया हुए हैं तो कामकाज के विवरण सहित उक्त याचिका एएफएसए AFSA को दायर करने के तीन साल और एक दिन बाद आप स्वत: दिवालियापन से मुक्त हो जांयेंगे/जायेंगी।

यदि आपके लेनदारों में से किसे ने आपको दिवालिया बनाया हो तो एएफएसए AFSA को कामकाज का संपूर्ण विवरण भेजने पर तीन वर्ष और एक दिन बाद आप स्वत: दिवालियापन से मुक्ति पा जायेंगे/जायेंगी। कामकाज का विवरण एएफएसए AFSA को तुरंत भिजवाया जाना अत्यावश्यक है। इसमें किसी भी देर का अर्थ है- आपके दिवालियापन की अवधि का तीन साल से अधिक बढ़ना।

कुछ मामलों में, आप तीन साल से भी अधिक अवधि के लिए दिवालिया बने रह सकते/सकतीं हैं। ऐसा तब होता है जब आपका ट्रस्टी एएफएसए AFSA के समक्ष दिवालियेपन से आपकी मुक्ति पर आपत्ति करे।

क्या मुझे दिवालियापन से मुक्त होने के लिए आवेदन करना होगा ?

दिवालियेपन से मुक्ति के लिए आवेदन करने की ज़रुरत नहीं हैं। तथापि अपने दिवालियापन से मुक्त होने का पुष्टीकरण आप निम्नानुसार प्राप्त कर सकते/सकतीं हैं।

- अपने ट्रस्टी से पूछकर या
- सार्वजनिक रिकॉर्ड, यानी एएफएसए AFSA के द्वारा रखे जा रहे राष्ट्रीय व्यक्तिगत दिवालियापन रजिस्टर (एनपीआइआइ NPII) की जांच करके और विहित शुल्क देकर उस रिकॉर्ड की आंशिक प्रतिलिपि प्राप्त करके, जिसमें दिवालियापन से मुक्त होने की तारीख लिखी गई है।

दिवालियापन से मुक्त होने के बाद क्या होता है?

आपका नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड (एनपीआइआइ NPII) में हमेशा के लिए दिवालियापन से मुक्त व्यक्ति के रूप में दिखेगा। साख की रिपोर्टिंग करनेवाले सगठन भी दिवालियापन का रिकॉर्ड रखते हैं। आपके मुक्त होने के बाद भी ये रिकॉर्ड एक सीमित अवधि के लिए रखे जाते हैं। उनसे आप निम्नलिखित कामों के लिए संपर्क कर सकते/सकतीं हैं:

W यह पुष्टि करें कि साख-फाइल अद्यतन करते हुए यह दर्शाया गया है कि अब आप दिवालिया नहीं हैं

W यह बताएँ कि आपकी साख फाइल में आपके दिवालियापन के रिकॉर्ड को कब तक दर्शाया जाता रहेगा।

दिवालियापन से मुक्त होने के बाद मेरी कानूनी अनिवार्यताएं क्या हैं?

आपके दिवालियापन से मुक्त होने के बाद भी दिवालियेपन का प्रशासन जारी रह सकता है। आपके ट्रस्टी ने जाँच-पड़ताल या परिसम्पत्तियों की बिक्री पूरी नहीं भी की हो सकती है या अभी भी आपको आय में से अंशदान करना पड़ सकता है।

- अपने दिवालियापन के प्रशासन को निपटाने में आपको ट्रस्टी की मदद अवश्य करनी चाहिए।
- ट्रस्टी के अनुरोध पर आपको अपने पते या वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तन की जानकारी देनी चाहिए।
- आय के बकाया अंशदान का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

दिवालियापन से मुक्त होने के बाद मुझे किन ऋणों को चुकाना होगा?

यदि आपके ऊपर निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का ऋण था तो दिवालियापन से मुक्त होने के बाद भी आपको भुगतान जारी रखना होगा:

- न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड व जुर्माने
- दुर्घटनाओं (जैसे कार दुर्घटना) से संबंधित मुआवज़े के दावे, सिवाय इसके कि दिवालियापन से पहले कोर्ट के निर्णय में क्षतिपूर्ति की रकम निर्धारित हो चुकी हो या अन्य पक्ष के साथ आपका लिखित करार हो चुका हो
- बाल-सहायता ऋण
- रख-रखाव ऋण
- विद्यार्थी एचइएलपी HELP ऋण एवं विद्यार्थी ऋण, (अधिक जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय से संपर्क करें)
- धोखाधड़ी से जनित आय

मेरी परिसंपत्तियों का क्या होगा ?

दिवालियेपन के पूर्व या उस दौरान प्राप्त की गई कोई भी परिसंपत्ति एक विहित अवधि तक ट्रस्टी द्वारा बेची जा सकती है। ऋण से मुक्ति के बाद ये स्वत: ही आपको वापस नहीं की जातीं है।

क्या मैं तीन साल से अधिक समय के लिए दिवालिया हो सकता/सकती हूँ?

यदि आपका ट्रस्टी एएफएसए AFSA के समक्ष आपके ऋण मुक्त होने पर आपत्ति दर्ज करता है तो आपका दिवालियापन पांच या आठ साल तक बढाया जा सकता है।

आपका ट्रस्टी अपनी आपत्ति विभिन्न कारणों से दर्ज करा सकता है. जैसे कि

- अपने ट्रस्टी को सूचना, सहायता देने में आपकी विफलता
- अपने ट्रस्टी को समूची आय बताने में तथा निर्धारित आय-अंशदान करने में आपकी विफलता
- किए गए खर्च का हिसाब देने में आपकी विफलता या
- सभी परिसंपत्तियों एवं लेनदारों की जानकारी न देने में आपकी विफलता

F. निरस्तीकरण

निरस्तीकरण क्या है ?

दिवालियेपन को रद्द करना निरस्तीकरण है। दिवालियापन तीन तरीकों से निरस्त होता है:

i. लेनदारों के ब्याज सहित ऋण और ट्रस्टी का शुल्क एवं खर्चों का संपूर्ण भुगतान करके।

ii. भुगतान की संपूर्ण राशि में से से थोड़ी सी कम राशि को आपके लेनदार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार करके।

iii. कुछ सीमित परिस्थितियों में न्यायालय से आवेदन करके।

निरस्तीकरण का प्रभाव

- आपका निरस्तीकरण हमेशा के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड, यानि राष्ट्रीय व्यक्तिगत दिवालियापन रजिस्टर एनपीआइआइ (NPII) के डाटाबेस में आ जाता है।
- जो परिसंपत्तियां आपके लेनदारों को भुगतान करने, खर्चे एवं शुल्क देने हेतु आवश्यक नहीं हैं उन्हें आपको वापस कर दिया जाएगा।

I. संपूर्ण भुगतान के द्वारा निरस्तीकरण

आपका दिवालियापन निम्नानुसार निरस्त होगा

- आपके लेनदारों को ऋण चुकाकर, लेनदारों को उनके ऋण पर ब्याज देकर, तथा उगाही प्रभार, आपकी ट्रस्टी के खर्चे एवं शुल्क का संपूर्ण भुगतान करके।

अपने ट्रस्टी से संपर्क करके उनसे पूछें कि आपको कितनी रकम देनी होगी। संपूर्ण भुगतान के लिए धनराशि आम तौर पर, ट्रस्टी द्वारा आपकी परिसंपत्ति बेचकर या ऐसे अन्य स्रोतों से जुटायी जाती है जो ट्रस्टी को सुलभ नहीं होते, जैसे कि आपके सगे-संबंधी द्वारा दी गई धनराशि। आपकी संपदा से अंतिम रूप से भुगतान करने की तारीख से आपके दिवालियेपन का निरस्तीकरण किया जाता है।

II. समाधान या व्यवस्था द्वारा निरस्तीकरण

दीवालियों द्वारा अपने ट्रस्टियों के माध्यम से अपने ऋणों के अंतिम रूप से निपटाने की जो पेशकश की जाती है उसे समाधान या व्यवस्था कहते हैं। लेनदार मतदान से इस पेशकश को स्वीकार या अस्वीकार करते है। कोई पेशकश

- दिवालियेपन से जुड़ी परिसंपत्ति से संबंधित हो सकती है
- लेनदारों को आम तौर पर दुर्लभ, धनराशि या परिसंपत्ति से जुडी हो सकती है, जैसे कि किसी सगे-संबंधी द्वारा दी गई धनराशि।

इन पेशकशों से लेनदारों को लाभांश के रूप में फायदा होता है जो अन्यथा नहीं मिलता है।

यदि आपकी पेशकश में अन्यथा प्रावधान न हो तो सभी लेनदारों को सामान दर से लाभांश मिलता है। आपकी लिखित एवं हस्ताक्षरित पेशकश ट्रस्टी के समक्ष दायर की जानी चाहिए जिसमें

- शर्तें दी गयीं हों
- ट्रस्टी के शुल्क और खर्चों के लिए प्रावधान किया गया हो।

अपनी पेशकश को अंतिम रूप देने और इस पर औपचारिक रूप से विचारार्थ लेनदारों की बैठक बुलाने हेतु ट्रस्टी से अनुरोध करने से पहले आपको

- अपने ट्रस्टी से पेशकश करने की अपेक्षाओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए
- मुख्य लेनदारों के लिए किसी प्रस्तावित पेशकश की स्वीकार्यता पर चर्चा कर लेनी चाहिए

आपका ट्रस्टी

- बैठक पर होने वाले खर्च और शुल्क शामिल करने के लिए डिपाजिट की मांग कर सकता है या
- ट्रस्टी के शुल्क के भुगतान हेतु पेशकश में पर्याप्त प्रावधान न होने पर बैठक बुलाने से इनकार कर सकता है, कारण कि शुल्क लेनदारों ने अनुमोदित किया है और संपदा का ही एक भाग है।.

<u>लेनदारों की बैठक</u>

आपका ट्रस्टी आपकी पेशकश पर विचार एवं मतदान हेतु लेनदारों की बैठक बुला सकता है, जिसकी सूचना एएफएसए AFSA की वेबसाइट (www.afsa.gov.au) में प्रकाशित की जायेगी। प्रत्येक लेनदार को ये कागजात भेजे जांयेंगे:

- बैठक की सूचना एवं कार्य-सूची
- आपकी पेशकश की एक प्रति
- आपके ट्रस्टी की रिपोर्ट .

यदि आपका ट्रस्टी अनुरोध करे तो आपको बैठक में अवश्य उपस्थित रहना होगा। बैठक के दौरान आप अपनी पेशकश की शर्तों में संशोधन कर सकते/सकतीं हैं, लेकिन ट्रस्टी के शुल्क में कोई भी कमी नहीं कर सकते/सकतीं हैं।

<u>ट्रस्टी की रिपोर्ट</u>

लेनदारों को प्रेषित इस रिपोर्ट में ट्रस्टी को यह बताना होगा कि यदि पेशकश स्वीकार कर ली जाती है तो क्या उन्हें फायदा होगा, और यह भी बताएँ कि

- निधि कौन सुलभ करा रहा है
- परिसंपत्तियों का व्यौरा, उगाही और लाभांश
- ट्रस्टी का शुल्क एवं खर्चे
- आपके आचरण एवं वित्तीय लेनदेनों का व्यौरा

<u>लेनदारों द्वारा पेशकश की स्वीकृति</u>

स्वीकृति के लिए उन लेनदारों का बहुमत 'हाँ''में चाहिए जिनके दावों की कीमत, डॉलर में, कुल दावों की कम से कम 75% है।

<u>यदि पेशकश स्वीकार कर ली जाती है, तो</u>

आपका दिवालियापन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, और

- आपके ट्रस्टी के शुल्क एवं प्रभार का भुगतान कर दिया जाएगा
- आपके लेनदारों को भुगतान कर दिया जाएगा।

सभी लेनदार जिनके ऋण का दावा आपके दिवालियेपन में शामिल है, वे पेशकश की शर्तों से बंधे हैं।

<u>यदि आपकी पेशकश ठुकरा दी जाती है</u>

तो आपका दिवालियापन जारी रहेगा। आपका ट्रस्टी

- बैठक बुलाने से संबंधित खर्च एवं शुल्क वहन करने वाली निधि किसी भी जमाराशि से निकाल लेगा
- पेशकश से संबंधित धनराशि लौटा देगा।

<u>समाधान या व्यवस्था में फेर-बदल</u>

आपके लेनदार आपके समाधान और व्यवस्था में फेर-बदल पर सहमत हो सकते हैं।

<u>स्थगित और रद्द करना</u>

आपके लेनदार या ट्रस्टी फ़ेडरल कोर्ट या फ़ेडरल मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपका समाधान या व्यवस्था स्थगित करने का आवेदन कर सकते हैं, अगर

- वह गैर-ब्याजवी हो
- दिवालियापन अधिनियम का अनुपालन न करता हो
- यदि आपने भ्रामक या गलत जानकारी दी हो, या
- आपने किसी शर्त का पालन ना किया हो

आपके लेनदार या ट्रस्टी आपके सामाधान या व्यवस्था को स्थगित या रद्द करने का आवेदन करने के साथ ही आपको फिर से दिवालिया बनाने की याचिका दायर कर सकते हैं।

III. न्यायालय की आदेश से निरस्तीकरण

यदि आप यह सोचते/सोचती हैं कि आपको दिवालिया नहीं बनाया जाना चाहिए था या अपनी ऋण याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी तो न्यायालय से अपना दिवालियापन निरस्त करने का आवेदन कर सकते/सकतीं हैं। इस बारे में आपको अपने स्तर पर कनूनी सलाह लेनी चाहिए।

G. शुल्क एवं प्रभार

आपके दिवालियापन के प्रशासन हेतु ट्रस्टी शुल्क का हक़दार है।

जहाँ अधिकृत ट्रस्टी प्रशासन का ट्रस्टी है वहां शुल्क कानूनन तय होता है, जो उगाही गई निधि के प्रतिशत पर आधारित है। यह शुल्क सीधे आपसे नहीं वसूला जाता जब तक कि आप दिवालियेपन को निरस्त नहीं कराते/करातीं।

जहाँ प्रशासन का ट्रस्टी एक रजिस्टर्ड ट्रस्टी होता है, वहां शुल्क का निर्धारण आम तौर पर प्रति घंटे के हिसाब से होता है। जहाँ प्रशासन के पास अपर्याप्त निधि होती है वहां रजिस्टर्ड ट्रस्टी सांविधिक तौर पर निर्धारित न्यूनतम शुल्क लेता है *

यदि आप अपने ट्रस्टी द्वारा प्रभारित शुल्क की रकम से असंतुष्ट हैं तो आप ट्रस्टी के पारिश्रमिक (शुल्क एवं संवितरण साहित) की निष्पक्ष समीक्षा दिवालियेपन के महा-निरीक्षक से कराने का अनुरोध कर सकते/सकतीं हैं। कुछ विहित शर्तों का पालन किये जाने पर दिवालियेपन के महानिरीक्षक उकत समीक्षा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.afsa.gov.au में पुलिस महानिरीक्षक निदेश 16 का सन्दर्भ लें।

किसी प्रशासन में ट्रस्टी द्वारा उगाही गई निधि 'उगाही प्रभार* (सरकारी लेवी) के अध्यधीन है जोकि ट्रस्टी द्वारा सीधे सरकार को दी जाती है |ट्रस्टी द्वारा उगाही गई निधि पर कमाया गया कोई भी ब्याज सरकार को देय होगा।

*एएफएसए AFSA के शुल्क एवं प्रभारों को एएफएसए AFSA की वेबसाइट पर देखें

^जो लोग 1 दिसंबर 2010 को या इसके बाद दिवालिये हुए हैं उनपर लागू नहीं होगा।